

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ4(ई) (आर27/88)अलेसे-III/8637-8641

दिनांक:- 30.8.2013

कार्यालय आदेश

इस निदेशालय के आदेश संख्या 82/2012-13 दिनांक 31.05.2012 के द्वारा श्री रमेश चन्द शर्मा, क0लेखाकार (लिक न0 1837) का स्थानान्तरण कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0रा0जल प्रदाय एवं सिवरेज प्रबन्धक मंडल, जयपुर में किया गया था किन्तु श्री रमेश चन्द शर्मा, क0लेखाकार द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश की आदिनांक तक पालना नहीं की गई है।

अतः श्री रमेश चन्द शर्मा, क0लेखाकार कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर को तुरन्त प्रभाव से निदेशालय स्तर से कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब इस विभाग में भिजवाये।


निदेशक

क्रमांक:- एफ4(ई) (आर27/88)अलेसे-III/8637-8641

दिनांक:- 30.8.2013

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री रमेश चन्द शर्मा, क0लेखाकार को वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0रा0जल प्रदाय एवं सिवरेज प्रबन्धक मंडल, जयपुर में कार्यग्रहण करने हेतु तुरन्त कार्यमुक्त करें।
- 2 कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री रमेश चन्द शर्मा, क0लेखाकार द्वारा आदेशों की पालना किये जाने तक श्री रमेश चन्द शर्मा, क0लेखाकार का वेतन आहरित नहीं किया जावे।
- 3 श्री रमेश चन्द शर्मा, क0लेखाकार, कार्या0 निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अविलम्ब उक्त आदेशों की पालना करके कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब प्रेषित करें।
- 4 निजी सहायक निदेशक कोष एवं लेखा।
- 5 कम्प्यूटर शाखा/पदस्थापन सीट /निजी पत्रावली /रक्षित पंजिका।


अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक-II}